न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री यशार्थ शेखर आई.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 390 / 2025

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 अर्जुनराम 2 भोमाराम पिसरान पनाराम 3 मालूदेवी पत्नी पनाराम 4 अर्जनराम पुत्र हरजीराम 5 तुलसाराम 6 आसुराम 7 पनाराम पिसरान अमराराम 8 भगाराम 9 धनाराम 10 पेमाराम पिसरान हरजीराम 11 चूनीदेवी पत्नी हरजीराम 12 करनाराम 13 मोटाराम 14 जेठाराम पिसरान जोधाराम 15 रामूदेवी पत्नी जोधाराम 16 चिमाराम 17 शेराराम 18 चूनीदेवी पत्नी देदाराम जाति जाट निवासी पूर्ण नगर, पटवार हल्का नांद भू.अभिलेख निरीक्षक सूरा तहसील व जिला बाडमेर।		1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाडमेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act.

उपस्थिति :–

1 श्री कपिल हुकमसिंह चौधरी, वकील प्रार्थी पक्ष।

आदेश

दिनांक 26/11/25

संक्षिप्त में प्रार्थीगण के आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा पूर्ण नगर पटवार हल्का नांद तहसील बाडमेर खसरा संख्या 338 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 339 रकबा 2.5090 हैक्टेयर, खसरा संख्या 444 / 340 रकबा 28.1661 हैक्टेयर, खसरा संख्या 452 / 337 रकबा 1.2060 हैक्टेयर भूमि आई हुई है, जो मूल खसरा संख्या 340 का भाग है जो सरकारी भूमि थी। उक्त खसरे में से कुछ व्यक्तियों को भू भाग आंवटन किया गया था जिस वजह से उपरोक्त खसरों के बट्टा नम्बर अलग–अलग दर्ज कर दिये गये। प्रार्थी संख्या 01 से 11 ने पूर्व के आंवटि खातेदारों से भूमि खरीद कर काबिज हुए है तथा प्रार्थी संख्या 12 से 18 के पूर्वजों को भूमि आवंटन होने की वजह से वैद्य वारिसान होने से उनके नाम से खातेदारी में दर्ज है। वर्तमान में लठ्ठा ट्रेस में वास्तविक कब्जा काश्त के अनुसार तरमीम नही की गई थी तथा ऑनलाईन तरमीम की गई थी वो भी मौके पर वास्तविक कब्जा काश्त अनुसार नही की गई थी। मौके पर वास्तविक कब्जा काश्त संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में बरंग लाल से दर्शाइ गई भूमि अनुसार है तथा संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'ब' के अनुसार वर्तमान में ऑनलाईन तरमीम है जो वास्तविक मौके पर कब्जा काश्त अनुसार नही है। [illegible] ऑनलाईन करते समय अपनी मनमर्जी से कब्जे काश्त अनुसार तरमीम [illegible] कर [illegible]लत तरमीम कर दी गई, जो दुरूस्त योग्य है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वी[illegible] किया जाकर मौजा पूर्ण नगर पटवार हल्का नांद तहसील बाडमेर खसरा संख्या 338 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 339 रकबा 2.5090 हैक्टेयर, खसरा संख्या 444 / 340 रकबा 28.1661 हैक्टेयर, खसरा संख्या 452 / 337 रकबा 1.2060 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान तरमीम निरस्त करते हुए भौतिक स्थिति के आधार पर संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में बरंग लाल से दर्शाइ गई भूमि की तरमीम करने का आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.12.10 10:03:59 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार बाडमेर से मौके की रिपोर्ट अभिलेख के परिप्रेक्ष्य में तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर के प्रस्तुत पत्रांक भूअ/2025/3916 दिनांक 19.09.2025 द्वारा प्रतिवेदन इस आशय का उपलब्ध करवाया कि वक्त सेटलमेन्ट मूल ग्राम नांद में खातेदार तेजा, गोमा, पूनमा पिसरान दुर्गा के नाम खसरा संख्या 337, 338 व 339 कुल रकबा 23.07 बीघा भूमि दर्ज की गई। उपरोक्त खसरों के संलग्न खसरा संख्या 340 जहां उपरोक्त खसरान का कब्जा काश्त था जो भूलवंश दर्ज होना छूट गया था जिसे जरिये मिसल नम्बर 176/57 हुकम एआरओ दिनांक 11.10.1957 के अनुसार खसरा संख्या 340 में से नवीन खसरा संख्या 340/1 रकबा 174.00 बीघा खातेदार तेजा पूनमा गोमा पिसरान दुर्गा के नाम से जमाबन्दी बन्दोबस्त संवत् 2012–2031 में खाता संख्या 143 में अमल दरामद किया गया। उक्त खसरा संख्या 340/1 की तरमीम का अंकन मूल सीट एवं मोमीट्रेस से नही किया गया परन्तु तत्पश्चात लठ्ठा ट्रेस में तरमीम संलग्न नक्शा प्रपत्र 'ब' अनुसार दर्ज की गई उसी अनुसार ऑनलाईन भी दर्ज की गई है परन्तु मौके पर कब्जा काश्त संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार है जो कि काबिल काश्त भूमि है पूर्व में लठ्ठा ट्रेस में अंकित तरमीम वाली भूमि पहाड़ी एवं पथरीली भूमि है जो काबिल काश्त नही है एवं पूछताछ में भी मौत बिरान एवं पड़ौसियों द्वारा सेटलमेन्ट से संलग्न नक्शा प्रपत्र 'अ' अनुसार कब्जा काश्त करना बताया गया। लिहाजा संलग्न नक्शा प्रपत्र 'अ' के अनुसार तरमीम शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की गई है।

वकील प्रार्थीगण को तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर सुना गया। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि तहसीलदार बाडमेर की मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के खातेदारी का खेत मौजा पूर्ण नगर पटवार हल्का नांद तहसील बाडमेर खसरा संख्या 338 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 339 रकबा 2.5090 हैक्टेयर, खसरा संख्या 444/340 रकबा 28.1661 हैक्टेयर, खसरा संख्या 452/337 रकबा 1.2060 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को निरस्त करते हुए तहसीलदार बाडमेर के मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा प्रपत्र 'अ' के अनुसार शुद्ध करने का आदेश फरमावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों तथा तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड लठ्ठा ट्रेस नक्शा में अंकित नक्शा तरमीम के परीप्रेक्ष्य में मौका रिपोर्ट तैयार की गई। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका प्रतिवेदन के मद्देनजर मौजा पूर्ण नगर पटवार हल्का नांद तहसील बाडमेर खसरा संख्या 338 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 339 रकबा 2.5090 हैक्टेयर, खसरा संख्या 444/340 रकबा 28.1661 हैक्टेयर, खसरा संख्या 452/337 रकबा 1.2060 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को निरस्त करते हुए मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा प्रारूप 'ब' के अनुसार शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है। वकील प्रार्थीगण ने तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रपत्र 'अ' के अनुसार शुद्ध किये जाने का निवेदन किया है। तहसीलदार बाडमेर ने भी अंकित किया है कि मौजा पूर्ण नगर पटवार हल्का नांद तहसील बाडमेर खसरा संख्या 338 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 339 रकबा 2.5090 हैक्टेयर, खसरा संख्या 444/340 रकबा 28.1661 हैक्टेयर, खसरा संख्या 452/337 रकबा 1.2060 हैक्टेयर भूमि की तरमीम संलग्न नक्शा प्रपत्र "ब" क अनुसार है जो कि मौके पर स्थित

Signature Not Verified
Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.12.10 10:03:59 IST
Reason: Self Attested

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

कब्जा काश्त अनुसार सही नही हैं। मौके पर के खातेदारो का कब्जा काश्त भौतिक रूप से संलग्न नक्शा प्रपत्र ''ब'' के अनुसार है। मौजा पूर्ण नगर पटवार हल्का नांद तहसील बाडमेर खसरा संख्या 338 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 339 रकबा 2.5090 हैक्टेयर, खसरा संख्या 444/340 रकबा 28.1661 हैक्टेयर, खसरा संख्या 452/337 रकबा 1.2060 हैक्टेयर भूमि पर खातेदारों की एक ढाणी व चार टांके मौके पर बने हुए व मौके पर काश्त भी संलग्न नक्शा प्रपत्र ''ब'' के अनुसार ही की जा रही है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय को धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत अभिलेख में लिपिकीय भूल सुधारने की जो शक्तियां है उसका प्रयोग करना, मैं उचित समझता हूं। लिहाजा मौजा पूर्ण नगर पटवार हल्का नांद तहसील बाडमेर खसरा संख्या 338 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 339 रकबा 2.5090 हैक्टेयर, खसरा संख्या 444/340 रकबा 28.1661 हैक्टेयर, खसरा संख्या 452/337 रकबा 1.2060 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को निरस्त करते हुए तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा प्रपत्र 'ब' के अनुसार शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा पूर्ण नगर पटवार हल्का नांद तहसील बाडमेर खसरा संख्या 338 रकबा 0.0405 हैक्टेयर, खसरा संख्या 339 रकबा 2.5090 हैक्टेयर, खसरा संख्या 444/340 रकबा 28.1661 हैक्टेयर, खसरा संख्या 452/337 रकबा 1.2060 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को निरस्त करते हुए तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा प्रपत्र 'ब' के अनुसार शुद्ध की जाती है। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा प्रपत्र 'ब' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बाडमेर तद्नुसार राजस्व अभिलेख में शुद्ध करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(यशार्थ शेखर)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर
उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 26/11/25 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर
उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.12.10 10:03:59 IST
Reason: SelfAttested